छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2011
(फाल्गुन-13, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय डॉ.सियाराम साहू का जन्म दिवस है। मैं अपनी तथा सदन की ओर से उन्हें बधाई देता हूं।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रथम प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री भोलाराम साहू का नाम प्रश्न हेतु पुकारा गया। माननीय सदस्य द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछने से मना किया गया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी का ध्यान दिनांक 03 मार्च, 2011 को सभा की कार्यवाही की ओर आकृष्ट किया तथा मंत्री द्वारा असंसदीय भाषा का उपयोग तथा अमर्यादित टिप्पणी का उल्लेख करते हुए माननीय श्री राजेश मूणत, मंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग से संबंधित सभा के संसदीय क्रियाकलापों के बहिष्कार किए जाने संबंधी कथन किया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों का ध्यान दिनांक 03 मार्च, 2011 को आसंदी से दी गई व्यवस्था की ओर आकृष्ट करते हुए सभा से नियम प्रक्रियाओं के अंतर्गत कार्यवाही को चलाने में सहयोग का अनुरोध किया ।

उन्होंने पूर्व में एक अवसर पर संस्कृति मंत्री के संदर्भ में ऐसी ही स्थिति में आसंदी से दी गई व्यवस्था का संदर्भ देते हुए उपस्थित सदस्यों से प्रश्न करने का आग्रह करते हुए कहा कि सदस्य का उपस्थित रहकर मंत्री जी से प्रश्न नहीं करना उचित परंपरा नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी की व्यवस्था का सम्मान एवं सहमति व्यक्त करते हुए प्रतिपक्ष द्वारा माननीय मंत्री के क्रियाकलापों का बहिष्कार किए जाने के प्रतिपक्ष के द्वारा लिए गए निर्णय को दोहराया गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने भी प्रतिपक्ष से आग्रह किया कि वे नियमों/प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रश्नकाल में हिस्सा लें। उन्होंने सदन की उच्च परंपराओं का हवाला देते हुए, मामले को शांतिपूर्वक चर्चा के माध्यम से सुलझाने का भी आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि इस सदन की उच्च परंपराओं का ध्यान रखते हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही में हिस्सा लें। उन्होंने सदन को स्मरण दिलाया कि कल उन्होंने इस संबंध में अपनी व्यवस्था दे दी है और अब आज इसमें कोई नई बात नहीं है।

प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्नकाल को आगे बढ़ाने की मांग एवं गतिरोध समाप्त करने के लिए अनुरोध किया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा पुनः व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रश्नकर्त्ता सदस्य का नाम पुकारे जाने पर हाऊस के अंदर रहकर वह यह कहें कि वह प्रश्न नहीं पूछना चाहते, यह उचित नहीं है। यदि आसंदी से नाम पुकारा जाता है तो प्रश्न पूछना चाहिये। दिनांक 03 मार्च, 2011 की व्यवस्था को संदर्भित करते हुए पुनः आग्रह किया कि प्रश्नकर्त्ता सदस्य प्रश्न पूछें और कार्यवाही चलाने में सहयोग करें।

माननीय सदस्य श्री भोलाराम साहू का नाम पुकारे जाने पर प्रश्न नहीं किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।

सदन की कार्यवाही 11.24 बजे स्थगित की जाकर 11.59 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रश्न संख्या 01 एवं 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री भोलाराम साहू एवं श्री रामपुकार सिंह नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित रहे।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रुद्र कुमार गुरु का नाम पुकारा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि सदस्य सदन में उपस्थित रहकर प्रश्न न पूछे यह संसदीय मर्यादा के विरूद्ध है। उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आसंदी की व्यवस्था का पालन करने का आग्रह किया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा रोगदा बांध को मंत्री तथा मंत्रिमंडल की बिना अनुमति से मुख्य सचिव द्वारा निजी कंपनी को सौंपे जाने का निर्णय लिए जाने संबंधी प्रकरण की जांच हेतु सदन की समिति बनाये जाने की मांग की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने नियम/प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि आसंदी का जो भी निर्देश होगा, शासन उसका पालन करने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही को आगे चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः सदन की समिति बनाये जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई।

(निंरतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.28 बजे स्थगित की जाकर पुनः 1.30 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सदन के समय में 10 मिनट की वृद्धि की घोषणा की।)

नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे ने इस पूरे मामले की जांच सदन की समिति से कराये जाने का आग्रह किया। श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर सहमति प्रदान की।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

जांजगीर जिले के रोगदा बांध से संबंधित तारांकित प्रश्न क्रमांक 03, दिनांक 03 मार्च, 2011 पर प्रश्नकाल में शासन के उत्तर से उद्‌भूत विषयों पर मैंने पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुने।

माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं एकाधिक प्रतिपक्ष के सदस्यों ने रोगदा बांध को निजी कंपनी को सौंपे जाने की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने एवं संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का कथन सभा में किया है और माननीय मंत्री जी ने सभा में बार-बार यह दुहराया है कि सिंचाई विभाग के द्वारा बांध राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया है, किसी निजी कंपनी को उसका स्वामित्व सिंचाई विभाग के द्वारा नहीं दिया गया।

मैंने इस संबंध में माननीय सदस्यों से चर्चा भी की । विषय के महत्व एवं गंभीरता को देखते हुये यह सम्पूर्ण प्रकरण जांच के लिये सभा की 5 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा करता हूं । सदस्यों के नाम मैं संसदीय कार्य मंत्री जी एवं नेता प्रतिपक्ष जी से चर्चा कर निर्धारित करूंगा ।

समिति दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों की जाँच कर अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के अंतिम दिवस के पूर्व प्रस्तुत करे, प्रतिवेदन पर मैं यथा-समय निर्णय लूंगा ।

(1.37 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार आज की ध्यानाकर्षण सूचनाएं आगामी कार्य दिवस में ली जाएंगी।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री महंत रामसुंदर दास

(3) श्री दूजराम बौद्ध

(4) श्री चैतराम साहू

(5) श्री रामदेव राम

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री चैतराम साहू

(2) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी

(3) श्री बैदूराम कश्यप

(4) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

(5) श्री शिवराज सिंह उसारे

(6) श्रीमती अंबिका मरकाम

7. वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा(क्रमशः)

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हेतु अभी अनेक सदस्यों के नाम वक्ताओं की सूची में शेष हैं। चूंकि आज शुक्रवार है अतः अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य भी लिया जाना है। आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आज ही पूर्ण होनी है। अतःआय-व्ययक की चर्चा में अब केवल दोनों पक्षों से एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात कहें। पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर होगा। आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जाएगा। सभा के समय में आवश्यकतानुसार वृद्धि भी की जाएगी।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

सर्वश्री शिवकुमार डहरिया, दीपक कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर पूर्ण होने तथा कार्यसूची के पद क्रमांक (5) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. अशासकीय संकल्प

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि सायं 6.00 बजने वाले हैं, आज के अशासकीय संकल्प आगामी कार्य दिवस में लिए जाएं। श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने सहमति व्यक्त की।

सायं 5.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 7 मार्च, 2011 (फाल्गुन 16, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा